*343[*Transferred to 6th Auguest* 1992]

Water Resource/Potential in the Country

*344. SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN: Will the MINISTER OF WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what is the "Water resources potential" assessed for the entire basins of the country according to the report submitted in November, 1990 by the Committee constituted for this purpose;

(b) what is the Water resource potential assessed by this Committe for the west flow rivers in Kerala;

(c) what is the quantity of water used in Kerala out of this resource;

(d) what steps Government have taken for the maximum utilisation of west flow rivers in Kerala and

(e) what efforts have been made by Government to divert the waste flow Kerala rivers to Tamil Nadu so that the water flown waste into the sea, is gainfully utilised?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) As per report submitted in November, 1990 by the Committee constituted for reassessment of Water Resources Potential, the total water resurces potential of the country from all basins is assessed as 1869 cubic kilometers.

(b) and (c) The water resources potential assessed for west flowing rivers of Kerala is about 80 cubic kilometers out of which 4.6 cubic Kilometers is resently being utilised in Kerala.

(d) There are ten major projects under construction during the 8th Five Year Plan to increase utilisation of west flowing rivers. In addition there are four major and medium projects under consideration.

(e) The National Water Development Agency has carried out studies to optimise the utilisation of water of west flowing rivers of Kerala, namely Pamba and Achenkovil by diverting the surplus waters to the drought prone areas of Tamil Nadu. The Preliminary feasibility report of this water transfer link proposal has been completed and sent to the concerned State Governments. Field survey and investigation for preparing detailed projects report is under progress and will be completed during 1993-94.

"इरीगेशन प्रोजेक्ट्स कास्ट स्काई राकेट्स" शीर्षक के अंतर्गत समाचार

*345. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "इरीगेशन प्रोजक्टस कास्ट स्काई राकेटस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार इन परियोजनाओं की लागत में तीव्र वृद्धि के लिये कुछ कारण बताये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये कारण कौन-कौन से हैं और देश में ऐसी सिंचाई परियोजनायें कौन कौन सी है, जो अपने निर्धारित कार्यक्रम से कम से कम पांच वर्ष पीछे चल रहीं हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार को 2 मई, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया में "इरीगेशन प्रोजक्टस कास्ट स्काई राकेट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के बारे में पता है। यह समाचार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किये गये अध्ययन की ओर संकेत करता है।

केन्द्रीय जल आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं में लगे अधिक समय और लागत का प्रायोगिक अध्ययन किया है और मार्च, 1992 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है । इस समाचार मद में दिये गये आंकड़े करोड़ रुपये में हैं, जबकि वास्तव में ये लाख रुपये में होने चाहिये थे । इस रिपोर्ट में अभिज्ञात किये गये तथ्य, जिनसे अधिक लागत आती है और अधिक समय लगता है निम्नवत है :

1. निर्माण के दौरान मूल्यों में बढ़ोत्तरी ।

2. व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये सीमित जांच तथा क्रियान्वयन के दौरान परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र एवं डिजाइन में बाद में परिवर्तन ।

3. अब संरचना सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन तथा पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के आदि के लिये मूल अनुमान में लगभग एक मुश्त प्रावधान जो बाद में पर्याप्त पाये गये ।

4. पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने, भूमि अधिग्रहण में विलंब होने तथा इनके कारण परियोजनाओं के पूरा होने में हुआ विलंब ।

5. श्रमिक समस्या, ठेके संबंधी समस्याओं, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में लोगों का विरोध, विस्थापितों द्वारा प्रदर्शन तथा प्राकृतिक आपदाओं जैस अन्य कारण ।

औसतन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने में क्रमश: लगभग 10–15 वर्ष तथा 5 वर्ष लग सकते है । इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शुरू की गयी वृहद परियोजनायें तथा वर्ष 1979–80 तक शुरू की गयी मध्यम परियोजनायें कार्यक्रम से 5 वर्ष से अधिक पिछड़ी हुई मानी जा सकती हैं । इस मानदंड के अनुसार 48 वृहद और 153 मध्यम परियोजनायें कार्यक्रम से 5 वर्ष से अधिक पीछे चल रही हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों को मकानों का आवंटन

*346. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकानों के आवंटन के लिये लंबित सभी पंजीकरणों को निपटाने के लिये 31 मार्च, 1997 तक की अवधि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास मकानों के आवंटन के लिये 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1997 तक, प्रत्येक वर्ष कितने-कितने पंजीकृत व्यक्तियों को मकान दे दिये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यू पैटर्न स्कीम, 1979; स्व वित्त-पोषित स्कीमों और अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1992 को शेष सभी 86531 पंजीकृत व्यक्तियों को मकान देने के लिये 31 मार्च, 1997 को लक्षित तिथि नियत की है ।

(ग) शेष पंजीकृत व्यक्तियों को मकान देने का वर्ष-वार लक्ष्य इस प्रकार है:–

वर्ष	शेष पंजीकृत व्यक्ति जिन्हें मकान दिये जायेंगे
1992–93	8,424
1993–94	13,487
1994–95	18,314
1995–96	21,306
1996–97	25,000